



2026:AHC: 60102

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या- 4550/2026

शाहबाज़ उर्फ बट्टा और एक अन्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: शत्रुंजय सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-69

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

- 1- आवेदकों की ओर से दाखिल पूरक शपथ पत्र को अभिलेख पर लिया गया।
- 2- आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री शत्रुंजय सिंह, और राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री जे.पी. सिंह को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
- 3- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत वर्तमान जमानत आवेदन, आवेदक की ओर से, विचारण के लंबित रहने के दौरान थाना चितबड़ागांव, जिला बलिया में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 217 वर्ष 2025, बी.एन.एस. की धारा 191(2), 191(3), 109, 115(2), 352, 351(3) और आयुध अधिनियम की धारा 4/25 के अंतर्गत उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
- 4- आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष हैं और उन्हें इस वाद में झूठा फँसाया गया है। यह आगे तर्क प्रस्तुत किया गया है कि किसी भी आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है और घायल की कोई भी चोट गंभीर प्रकृति की या जीवन के लिए खतरनाक नहीं पाई गई है बल्कि वे साधारण प्रकृति की हैं। यह आगे तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदकों का एक वाद का आपराधिक इतिहास है, जिसे आज दाखिल पूरक शपथ पत्र में स्पष्ट किया गया है। 13.12.2025 से कारागार में हैं, आवेदकगण यह वचन देते हैं कि यदि उन्हें स्वतंत्रता प्रदान किया जाता है, तो वे उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। यह भी इंगित किया गया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है कि न्यायालय में वादों के भारी लंबन के मद्देनजर, विचारण के जल्द निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।

5- इसके विपरीत विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है।

6- किसी भी आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है और घायल की कोई भी चोट गंभीर प्रकृति की या जीवन के लिए खतरनाक नहीं पाई गई है, बल्कि वे साधारण प्रकृति की हैं। यह आगे तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदकों का एक वाद का आपराधिक इतिहास है, जिसे आज दाखिल पूरक शपथ पत्र में स्पष्ट किया गया है। आवेदकगण 13.12.2025 से कारागार में हैं।

7- तथ्यों की समग्रता, प्रकृति और अभिलेख से परिलक्षित साक्ष्य पर विचार करने और अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधान को भी ध्यान में रखने पर और वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए एक उपयुक्त मामला पाता हूँ। अतः, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

8- उपरोक्त मुकदमा अपराध में शामिल आवेदकों - **शाहबाज़ उर्फ बट्टा और हमीद** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उन्हें संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए 50,000/- रुपये का एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां प्रत्येक प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

(i) आवेदकगण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेंगे ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ किया जा सके।

(ii) आवेदकगण अभियोजन के साक्षीगण पर दबाव नहीं डालेंगे/उन्हें न ही डराएंगे-धमकाएंगे।

(iii) आवेदकगण (i) वाद शुरू होने, (ii) आरोप विरचित करने और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगे।

(iv) आवेदकगण इस आशय का एक वचन-पत्र दाखिल करेंगे कि जब विचारण न्यायालय में साक्षीगण उपस्थित होंगे, तो वे साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेंगे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(v) आवेदकगण प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेंगे।

9- उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन के स्थिति में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

10- यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस जमानत आवेदन के निर्धारण के प्रयोजन तक सीमित है और इसे किसी भी तरह से वाद के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में अन्वय नहीं किया जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्षों पर पहुँचने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

23 मार्च, 2026

आरकेएम